



(18)

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. निगरानी-6340/2018 आगर मालवा/भू-रा.

निर्मला बाई पत्नि राधेश्याम सुतार निवासी
ग्राम मनासा तहसील नलखेडा जिला आगर
मालवा म.प्र.

श्री 200 के 0 कु ल श 00
आगर दि. 20.11.18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-12-18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.....आवेदिका

बनाम

- 1-गिरिराज दत्तक पुत्र कंवारलाल सुतार
- 2-कंवारलाल पुत्र गंगाराम सुतार
निवासीगण नीमा कालौनी नलखेडा जिला
आगर मालवा म.प्र.
- 3-शांतिबाई पत्नि रमेश चन्द सुतार
निवासी ग्राम पचोर जिला राजगढ म.प्र.

.....अनावेदकगण

उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 अधीनस्थ न्यायालय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्र.क.
593/अपील/2017-18 वउनमान गिरराज बनाम निर्मला बाई व
अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.11.18 जिसके द्वारा अपीलांट की
अपील स्वीकार की गई है से दुःखित होकर यह निगरानी माननीय
के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है

प्रस्तुत
श्री 200 के 0 कु ल श 00
20/11/18

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(7)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6340/2018/आगर मालवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	